वर्षः 01 अंकः 05

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूज़लेटर - सितम्बर - 2021

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,

New Delhi-110 003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर

वर्षः 01 अंकः 05 सितम्बर 2021

संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com

@srajeshranjan

यह काफी हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से अभी तक न्यूजलेटर के चार अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित किए जा चुके हैं और इस बार पांचवा अंक प्रकाशित किया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग लगातार अपने इस न्यूजेलेटर के माध्यम से लोगों तक यह संदेश पहुंचाना चाहता है कि आयोग अनुसूचित जाति के लोगों को सामाजिक स्वतंत्रता और न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार इस अंक में हमने कई सफल फैसलों का भी जिक्र किया है। इसके अलावा गत माह में घटित कई बड़ी घटनाओं का जिक्र भी किया गया है। उम्मीद है न्यूजलेटर को सफल बनाने में आपका सहयोग यूं ही मिलता रहेगा।

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

https://ncsc.negd.in/

National Commission for Scheduled Castes

SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN

SHRI ARUN HALDER
VICE-CHAIRMAN

DR. ANJU BALA
MEMBER

SHRI SUBHASH RAMNATH
PARDHI, MEMBER

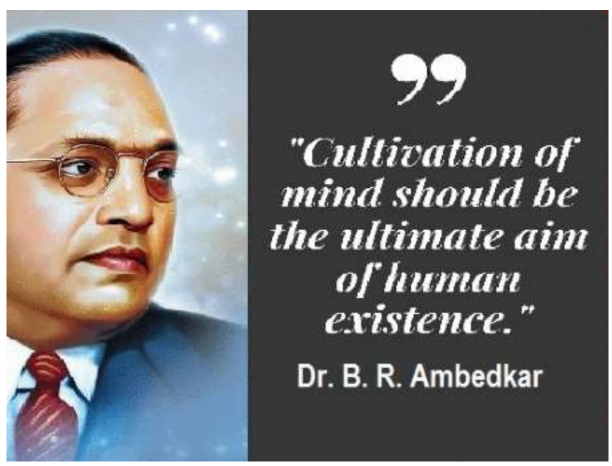

@NCSC_GoI @NCSC.GoI @ncsc_goi

माननीय अध्यक्ष का सन्देश

विजय सांपला

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित न्यूजलेटर के पांचवे अंक के लिए यह संदेश लिखते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। इस माह हमने 2018–19 और 2019–20 के लिए आयोग की वार्षिक रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद जी को सौंपी। इस दौरान आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार, सदस्य डॉ. अंजू बाला और श्री सुभाष रामनाथ पारधी भी मौजूद रहे।

वहीं, 1 सितंबर से 15 सिंतबर के दौरान आयोग में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान आयोग में हिंदी के महत्व को समझते हुए अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने पर जोर दिया गया। दरअसल, हिंदी एक ऐसी भाषा है, जो समस्त संस्कृति के मूल तत्वों को अभिव्यक्त करती है।

सितंबर माह के दौरान आयोग ने अपने एक अहम फैसले में पंजाब सरकार को अदालतों में कार्यरत अनुसूचित जाति के जजों/अधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का निर्देश जारी किया। ये एक बहुत ही अहम फैसला था क्यूंकि पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए एक्ट–2006 के अनुसार प्रमोशन में आरक्षण लागू तो है लेकिन न्यायपालिका में ये व्यवस्था नहीं है। इससे न्यायपालिका में कार्यरत अनुसूचित जाति के जजों और उच्चाधिकारियों समेत अन्य कर्मचारियों को भी प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा।

इसके अलावा आयोग लगातार अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में स्पॉट विजिट से लेकर आयोग मुख्यालय में जनसुनवाई तक कर रहा है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्य से मिली घटनाओं की जानकारी पर भी आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित सरकारों, प्रशासन से जवाब मांगा। न्यूज लेटर के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि लोगों तक आयोग द्वारा लिए गए फैसलों और गतिविधियों के बारे में जानकारी समय–समय पर पहुंचती रहे। आयोग ठीक से काम करता रहे, इसके लिए आशा है कि आपका सहयोग मिलता रहेगा।

जय हिंद !

सादर धन्यवाद

विजय सांपला
@thevijaysampla

महामहिम राष्ट्रपति को सौंपी आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को सौंपी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला के नेतृत्व में 21 सितंबर 2021 को आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय राष्ट्रपति से मिला। इस दौरान 2018–19 और 2019–20 के लिए आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सौंपी।

इस दौरान माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला के अलावा आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार, सदस्य डॉ. अंजू बाला और श्री सुभाष रामनाथ पारधी भी मौजूद रहे। बता दें कि वर्तमान में छठा आयोग काम कर रहा है और यह वर्तमान आयोग की पहली वार्षिक रिपोर्ट है। छइे आयोग का गठन इसी साल फरवरी माह में श्री विजय सांपला जी की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा–संरक्षण और कल्याण से संबंधित सिफारिशें होती हैं। संविधान के अनुसार, "आयोग का यह कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति को अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करे।

आयोग की चौथी बैठक

छइे आयोग का गठन फरवरी 2021 में किया गया था। गठन के बाद से अभी तक आयोग की तीन बैठकें हो चुकी हैं। 20 सितंबर 2021 को आयोग की चौथी बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक आयोग मुख्यालय में हुई। इस बैठक में माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला, माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी मौजूद रहे। इस बैठक में आयोग के कामों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि इससे पहले भी तीन बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 17 मार्च 2021, दूसरी बैठक 1 अप्रैल 2021 और तीसरी बैठक 23 अगस्त 2021 को हुई थी।

जजों को मिले पदोन्नति में आरक्षण

पंजाब की अदालतों में कार्यरत जजों/अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण को लेकर आयोग ने एक अहम निर्देश जारी किया है। दरअसल, 8 अप्रैल 2021 को प्रार्थी द्वारा आयोग को ये शिकायत दी गई कि पंजाब की अदालतों में अनुसूचित जाति के जजों/अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पाया कि पंजाब सरकार द्वारा पंजाब में एससी व ओबीसी जाति (सेवाओं में आरक्षण) एक्ट–2006 कानून पारित किया था जिसके तहत ग्रुप–ए और बी में एससी को 14 फीसदी और ग्रुप–सी और डी में एससी को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है, लेकिन न्यायिक सेवाओं व अदालती कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। यह संविधान में एससी कैटेगरी के लिए प्रदत्त प्रावधानों का भी उल्लंघन है। आयोग ने पंजाब सरकार को इसे तुरंत लागू करने को कहा।

इससे पहले भी आयोग इस मामले में 4 बार सुनवाई (17/06/2021, 20/07/2021, 04/08/2021 और 25/08/2021) कर चुका है। लेकिन 15 सितंबर 2021 को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की विशेष सचिव (गृह मामले व न्याय) बलदीप कौर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजीव बेरी, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी अंजू राठी राणा हाजिर रहे। विशेष सचिव ने बताया कि पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए एक्ट–2006 के अनुसार प्रमोशन में आरक्षण लागू है लेकिन न्यायपालिका में ये व्यवस्था नहीं है।

आयोग अध्यक्ष माननीय श्री विजय सांपला ने यह भी स्पष्ट किया कि 'बिहार सरकार व अन्य बनाम बाल मुकंद साहा व अन्य (2000)' केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि बिहार राज्य की न्यायपालिका में कार्यरत जज/अधिकारी भी राज्य सरकार के 'इस्टैब्लिशमेंट' कैटेगरी में आते हैं। इसी प्रकार पंजाब के विभिन्न अदालतों में जजों/अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्य सरकार की 'इस्टैब्लिशमेंट' श्रेणी में मानी जानी चाहिए। इसलिए ये सभी आरक्षण लाभ के हकदार हैं। माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने मामले की सुनवाई दौरान कहा कि पंजाब सरकार का गृह विभाग तुरंत आरक्षण नियमों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करे। आयोग ने आगामी 2 सप्ताह में संबंधित अधिकारियों को एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश करने को कहा।

दलित छात्रा को मिली एमबीबीएस की डिग्री

पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा एससी स्कॉलरशिप स्कीम के सर्कूलर की गलत व्याख्या/अर्थ निकालकर एक छात्रा की स्कॉलरशिप रोक दी थी। लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष माननीय श्री विजय सांपला के निर्देशों के बाद पंजाब सरकार ने दलित छात्रा को उसकी एमबीबीएस की डिग्री प्रदान कर दी। छात्रा की शिकायत का निवारण करते हुए एक सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान आयोग अध्यक्ष द्वारा पंजाब सरकार के अधिकारियों व कॉलेज प्रबंधकों को तुरंत दलित छात्रा को उसकी एमबीबीएस की डिग्री जारी करने को कहा था।

एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाली डॉक्टर शीना मट्टू ने आयोग अध्यक्ष का आभार जताया। छात्रा ने साल 2015 में मैनेजमेंट कोटे से लुधियाना के दयानंद मैडीकल कालेज (डीएमसी) में दाखिला लिया था। पहले दो वर्षों के लिए स्कॉलरशिप की राशि छात्रा को दी गई, लेकिन राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के एक सर्कूलर की गलत व्याख्या करने के चलते उसकी एससी स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया। कॉलेज द्वारा भी उसकी एमबीबीएस की डिग्री देने से इंकार दिया गया।

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के अधिकारियों व कॉलेज प्रबंधकों ने बताया कि 2018 में जारी किए गए केंद्र सरकार के सर्कूलर के अनुसार राज्य सरकारों को प्रबंधन कोटे के अधीन दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम को बंद करने के लिए कहा गया था। इस पर माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने कहा कि उक्त सर्कूलर में स्पष्ट लिखा है कि जो लाभपात्री विद्यार्थी पहले से इस स्कीम के अनुसार दाखिला प्राप्त कर चुका है, उसको निरंतर स्कॉलरशिप जारी रहनी चाहिए। जबकि 2017–18 सत्र में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को ऐसे लाभ नहीं दिए जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार का उक्त सर्कूलर उन विद्यार्थियों के लिए लागू होता है, जो कि वर्ष 2018 तथा इसके बाद दाखिला लेते हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. शीना मट्टू का दाखिला वर्ष 2015 में हुआ था, जिसके चलते उस पर सर्कूलर की हिदायतें लागू नहीं होती। आखिरकार पंजाब सरकार व कॉलेज प्रबंधकों ने डॉ. शीना मट्टू को डिग्री सौंप दी गई।

जनसुनवाई

अनुसूचित जाति के साथ घटने वाली घटनाओं पर चर्चा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने भोपाल का आधिकारिक दौरा किया। अपने आधिकारिक दौरे के दौरान माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने दोनों आला अधिकारियों से राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होने वाली घटनाओं पर गंभीरता से चर्चा की। साथ ही इस बात पर चर्चा की कि इन घटनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए।

लंबित मामलों का निस्तारण

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार जी ने आयोग के नई दिल्ली कार्यालय में अनुसूचित जाति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लंबे समय से लंबित पड़े मामलों के निस्तारण के रेलवे, फाइनेंस, गृह, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

आयोग के लखनऊ कार्यालय में सुनवाई

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति के लोगों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में आयोग के राज्य कार्यालय लखनऊ में भी जनसुवाई की गई। इस दौरान आयोग की सदस्या डॉ. अंजू बाला ने लखनऊ कार्यालय में आए हुए व्यक्तियों की समस्याओं को सुना। साथ ही प्राप्त शिकायती पत्रों पर संज्ञान लेते हुए लोगों को जल्द से जल्द कार्यवाही करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया।

मामले की सुनवाई

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में एक गंभीर मामले की सुनवाई करते हुए माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी। इस दौरान प्रार्थी, संबंधित विभागों के अधिकारी व आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान माननीय सदस्य ने जन समस्याएं सुनी एवं उनकी समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही कर निस्तारण किया।

आयोजन

हिंदी पखवाड़े का आयोजन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में 1 सितंबर, 2021 से लेकर 14 सितंबर, 2021 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के अवसर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण एवं आलेखन (व्यवहारिक), राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस हिंदी प्रतियोगिचता में आयोग के स्टाफ सदस्यों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता के दौरान कोविड नियमों का भी विशेष ध्यान रखा गया। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि केवल हिंदी पखवाड़े में ही हिंदी में काम न करें, बल्कि बाकी दिनों में भी अपने प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने की शुरुआत करनी चाहिए। बता दें कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाले विजेताओं को क्रमशः दो हजार, सत्रह सौ और पंद्रह सौ रूपए की राशि दी गई। इसके अलावा प्रोत्साहन पुरस्कार के तौर पर एक हजार रूपए दिए गए।

संज्ञान

पटियाला में महिला सरपंच की पिटाई और कपड़े फाड़े जाने का मामला

पंजाब के जिला पटियाला के अंतर्गत आने वाले गांव संतनगर मौलवीवाला में सार्वजनिक तौर पर अनुसूचित जाति की एक महिला सरपंच की पिटाई, बदसलूकी व कपड़े फाड़े जाने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया। इस संबंध में महिला सरपंच सुखपाल कौर ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को लिखित शिकायत में दी थी। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री विजय सांपला ने पंजाब सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को निर्देश जारी किया।

पीड़ित महिला सरपंच द्वारा आयोग को दी गई शिकायत में बताया गया था कि 23 मई को जिला पटियाला के पांतड़ा के गांव संतनगर मौलवीवाला में जब बतौर सरपंच गलियों व नालियों का निर्माण करवा रही थी, तब कुछ रसूखदार व्यक्तियों ने आकर काम को रूकवा दिया। गाली–गलौच करते उनके साथ

बदसलूकी की तथा कपड़े फाड़े और मारपीट भी की। इस दौरान बीच–बचाव करने आए महिला सरपंच के परिजनों को भी पीटा। घटना की गंभीरता को समझते हुए आयोग अध्यक्ष ने पटियाला के डिप्टी कमिश्वर व एसएसपी को नोटिस जारी किया। साथ ही पूरे मामले की जांच करके तुरंत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी।

साथ ही सख्ती दिखाते हुए कहा कि अगर आयोग को निश्चित समय पर जवाब नहीं मिला तो आयोग संविधान की धारा 338 के तहत मिली सिवल कोर्ट की पावर का उपयोग करते हुए संबंधित अफसरों को व्यक्तिगत तौर आयोग के आगे हाजिर होने के समन जारी कर सकता है।

स्पॉट विजिट

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का विजिट

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार ने चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का स्पॉट विजिट किया। इस दौरान उन्होंने महाप्रबंधक एस.के. कश्यप व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस विजिट के दौरान अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के वर्षों से पेंडिंग रहे प्रमोशन और पेंशन के मामलों को निपटाया। साथ ही पेंडिग पड़ी ज्वाइनिंग की कार्यवाहियों को पूरा कराकर नियुक्तिपत्र भी सौंपे।

महिला से दुष्कर्म व हत्या का मामला

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार ने मुंबई के साकीनाका इलाके में अनुसूचित जाति की महिला से हुए दुष्कर्म व हत्या के मामले में घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद माननीय उपाध्यक्ष ने मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर से मुलाकात कर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये। मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डी.जी.पी.,

सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सहित महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख विभागों के सचिवों के साथ मीटिंग कर सख्त और तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।

लखनऊ मंडल के कॉन्फ्रेंस हॉल में बाबा साहेब का चित्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने उत्तर रेलवे के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित विषयों पर चर्चा की। इस दौरान 12 सालों से लंबित उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के कॉन्फ्रेंस हॉल में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का चित्र लगाने की मांग पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही कर चित्र लगवाया। मीटिंग के दौरान अनुसूचित जाति रेलवे कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों और सामाजिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सरकार को निर्देश

पंजाब में जजों एवं अधिकारियों को तत्काल प्रमोशन में मिले आरक्षण

नई दिल्ली/चंडीगढ़, 16 सितम्बर (ब्यूरो): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह पंजाब की अदालतों में नौकरी करते अनुसूचित जाति से संबंधित जजों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति में तत्काल आरक्षण दे व साथ ही इसे तुरंत लागू करने का निर्णय सुनाया है।

आयोग के अध्यक्ष ने 'बिहार सरकार व अन्य बनाम बाल मुकंद साहा व अन्य (2000) केस का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया कि पंजाब की विभिन्न अदालतों में जजों एवं अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्य सरकार की 'इस्टैब्लिशमैंट' श्रेणी में मानी जानी चाहिए, इसलिए ये सभी आरक्षण-लाभ के हकदार हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब सरकार का गृह विभाग तुरंत आरक्षण नियमों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करे। आयोग ने आगामी 2 सप्ताह में संबंधित अधिकारियों को एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है।

Punjab issues MBBS degree to Ludh doctor

Times News Network

Chandigarh: The Punjab government on Tuesday issued an MBBS degree to a Ludhiana-based doctor from a scheduled caste (SC) community on the directions of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC). The degree was withheld by college authorities due to amendments in the post-matric scholarship scheme for scheduled caste students.

NCSC DIRECTIONS

During a meeting held in New Delhi on September 1, commission chairman Vijay Sampla had asked the Punjab government officials and college authorities to immediately release the degree of Dr Sheena Mattu.

Dr Mattu had informed the commission that her scholarship amount was not paid by the state government. She had got admission in Dayanand Medical College, Ludhiana, in 2015 under the 'management quota' and was paid scholarship amount for the first two years, but the state government decided to discontinue it after wrongly interpreting a circular from the central government. The college had even refused to issue an MBBS degree to the student.

"As per the central government's circular issued in 2018, the state governments were asked to discontinue the scholarship scheme for the students seeking admission under the management quota. However, it was clearly mentioned in the circular that the beneficiaries, who were already enrolled to the scheme, will continue to get scholarship till completion of their courses whereas the students taking admission in 2017-2018 will not be given such benefits," said Sampla.

He explained the circular issued by the central government was applicable to those taking admissions in 2018 and onwards.

THE TIMES OF IN

NCSC: Consider quota to promote judicial officers

Times News Network

Chandigarh: The National Commission for Scheduled Castes (NCSC) has directed the Punjab government to consider reservations in promotion of judicial officers and other court employees belonging to the Scheduled Caste category.

The petitioner who had ... the Union ministry of law and justice Anju Rathi Rana. The commission also expressed its displeasure over the fact that no concrete action has been taken on the commission's recommendations in its previous hearings even after the lapse of considerable time.

... court employees.

Sampla said, "The Supreme Court in State of Bihar and another Vs Bal Mukund Saha and others (2000), held that any office or establishment of the judiciary of the state of Bihar concerned with appointments to public services and posts in connection with affairs of the judici-

ଜାତୀୟ ଆୟୋଗରେ ଅଭିଯୋଗ

ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଅଚଳ

[illegible]

विजय सांपला के दखल के बाद सरकार व कालेज ने दी दलित छात्रा को एम.बी.बी.एस. की डिग्री

- डा. शीना मट्टू ने चेयरमैन विजय सांपला का आभार जताया

विजय सांपला

डा. शीना मट्टू

चंडीगढ़/खन्ना, 14 सितम्बर (नरेश, हरीश): नैशनल एस.सी. कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला के निर्देशों उपरांत पंजाब सरकार ने दलित छात्रा को उसकी एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्रदान कर दी है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा एस.सी. स्कॉलरशिप स्कीम के सर्कुलर की गलत व्याख्या/अर्थ निकालकर छात्रा की स्कॉलरशिप रोक दी थी। उल्लेखनीय है कि नैशनल एस.सी. कमीशन के दिल्ली स्थित हैड आफिस में बीती 1 सितंबर को चेयरमैन विजय सांपला द्वारा शिकायत का निवारण करते हुए पंजाब सरकार के अधिकारियों व कालेज प्रबंधकों को तुरंत दलित छात्रा को उसकी एम.बी.बी.एस. की डिग्री जारी करने को कहा था।

एम.बी.बी.एस. की डिग्री हासिल करने वाली डाक्टर शीना मट्टू ने चेयरमैन विजय सांपला का आभार जताते हुए बताया कि कालेज द्वारा वजीफा राशि न मिलने के कारण उसकी उत्तीर्ण की गई एम.बी.बी.एस. की डिग्री नहीं दी जा रही थी। उसने बताया कि वर्ष 2015 में मैनेजमैंट कोटे से लुधियाना के दयानंद मैडीकल कालेज (डी.एम.सी.) में दाखिला लिया था। उसको पहले दो वर्षों के लिए स्कॉलरशिप की राशि अदा की गई, पर राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के एक परिपत्र की गलत व्याख्या करने के चलते उसकी एस.सी. स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। वहीं कालेज द्वारा भी उसकी एम.बी.बी.एस. की डिग्री देने से इन्कार कर दिया गया।

सांपला ने मीटिंग में पंजाब सरकार के अधिकारियों व कालेज प्रबंधकों को बताया कि केंद्र सरकार का उक्त सर्कुलर उन विद्यार्थियों के लिए लागू होता है, जोकि वर्ष 2018 तथा इसके बाद दाखिला लेते हैं। उन्होंने कहा कि डा. शीना मट्टू का दाखिला वर्ष 2015 में हुआ था, जिसके चलते उस पर सर्कुलर की हिदायतें लागू नहीं होतीं। आखिरकार नैशनल एस.सी. कमीशन के चेयरमैन द्वारा केंद्र सरकार के उक्त सर्कुलर पर स्पष्टता उपरांत पंजाब सरकार व कालेज प्रबंधकों ने डा. शीना मट्टू को डिग्री सौंप दी।

दैनिक सवेरा Wed, 15 September 2021 epaper.dainiksaveratimes.org/c/63117899

After SC panel's orders, state issues degree to MBBS student

LUDHIANA, SEPTEMBER 14

Dr Sheena Mattu shows her MBBS degree in Ludhiana.

Sheena Mattu finally got her MBBS degree today, which was withheld by college authorities due to amendments to the Post-Matric Scholarship Scheme for SC students.

After the National Commission for Scheduled Castes' (NCSC) directions, the Punjab Government issued the degree to the Ludhiana-based doctor.

Mattu took admission to Dayanand Medical College (DMC), Ludhiana, in 2015, under the management quota and was paid scholarship amount for the first two years. But the state government decided to discontinue it after receiving a circular from the Centre.

"As per the Central Government circular issued in 2018, the state governments were asked to discontinue the scholarship scheme for students seeking admission under the management quota. However, it was clearly mentioned that the beneficiaries already enrolled under the scheme would continue to get scholarship till completion of their courses. However, students taking admission in 2017-2018 will not be given such benefits. The circular was not applicable on Dr Mattu as she had got admission in 2015," NCSC chairman Vijay Sampla said.

During a recent meeting at New Delhi, Sampla had asked the state government officials and college authorities to release the degree of Sheena Mattu. —TNS

Ludhiana Tribune Wed, 15 September 2021 https://epaper.tribuneindia.com/c/631

अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार को दिए निर्देश

एस.सी. जजों/अधिकारियों को प्रमोशन में दिया जाए आरक्षण

आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने 2 सप्ताह में संबंधित अधिकारियों को एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा

चंडीगढ़, 16 सितम्बर (नरेश): पंजाब की अदालतों में नौकरी करते अनुसुचित जाति से संबंधित ज्यूडिशियल ऑफिसर्स/ न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तरक्की में आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार को इसे तुरंत लागू करने का निर्णय सुनाया है।

विजय सांपला

गौरबतलब है कि 8 अप्रैल 2021, को प्रार्थी द्वारा दी गई शिकायत अनुसार पंजाब की अदालतों में अनुसूचित जाति के जजों / अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अनुसूचित जाति आयोग ने पाया कि सरकार द्वारा पंजाब में एस.सी. व ओ.बी.सी. जाति (सेवाओं में आरक्षण) एक्ट-2006 कानून पारित किया था जिसके तहत ग्रुप-ए और बी में एस.सी. को 14 फीसदी और ग्रुप-सी और डी में एस.सी. को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है लेकिन न्यायिक सेवाओं व अदालती कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। यह संविधान में एस.सी. वर्ग के लिए प्रदत्त प्रावधानों का भी उल्लंघन है। आयोग ने पंजाब सरकार को इसे तुरंत लागू करने को कहा है। इससे पहले आयोग इस मामले में 4 बार सुनवाई कर चुका है लेकिन 15 सितंबर 2021 को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान सरकार की विशेष सचिव (गृह मामले व न्याय) बलदीप कौर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजीव बेरी, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के ज्वाइंट सैक्रेटरी अंजू राठी राणा हाजिर रहे।

नियुक्ति 'इस्टैब्लिशमैंट' श्रेणी में मानी जाए : सांपला

वहीं अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार व अन्य बनाम बाल मुकंद साहा व अन्य (2000) केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि बिहार राज्य की न्यायपालिका में कार्यरत जज / अधिकारी भी राज्य सरकार के 'इस्टैब्लिशमैंट' कैटेगरी में आते हैं। इसी प्रकार पंजाब के विभिन्न अदालतों में जजों / अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्य सरकार की 'इस्टैब्लिशमैंट' श्रेणी में मानी जानी चाहिए। इसलिए ये सभी आरक्षण लाभ के हकदार हैं। विजय सांपला ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पंजाब सरकार का गृह विभाग तुरंत आरक्षण नियमों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करे। आयोग ने आगामी 2 सप्ताह में संबंधित अधिकारियों को एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश करने को कहा।

दैनिक सवेरा Fri, 17 September 2021 epaper.dainiksaveratimes.org/c/63164394

पदोन्नति के लिए आयोग की सिफारिशों का पालन करेगा एम्स

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : एनसीएससी को हाल ही में एम्स दिल्ली के खिलाफ एक शिकायत मिली थी। जिसमें शिकायतकर्ता का कहना था कि एम्स प्रशासन द्वारा आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत नहीं किया जा रहा है। एम्स एससी/एसटी एंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी शिकायत में आयोग से गुहार लगाई थी कि एम्स प्रशासन को डीओपीटी के आदेश दिनांक 15.06.2021 (आरक्षित श्रेणी पद के लिए आरक्षित श्रेणी और अनारक्षित पदों के लिए अनारक्षित श्रेणी समीक्षा के अधीन) विषय के आधार पर पुनः विचार करते हुए अनुसूचित जाति के वंचित किए गए सभी कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाए।

Commission seeks report on quota for SC staff in courts

Implement reservation policy, file report in 2 weeks, state told

NEW DELHI, SEPTEMBER 16

The National Commission for Scheduled Castes (NCSC) today issued a notice to the Punjab Government to consider reservations in the promotion of its judicial officers and other court employees belonging to the SC category.

The commission has asked the government to file a report within two weeks on action taken in the matter. The commission has interceded with the state government while considering a complaint against it for not implementing the quota policy for SCs with regard to judicial officers and court employees.

The panel, headed by Vijay Sampla, held five hearings at its headquarters. It also summoned senior officers of the Centre and state. The complainant in the matter had alleged the state government had passed a law — the Punjab SC and BC (Reservation in Services) Act, 2006. It provides for 14 per cent reservation to group A and B employees with regard to promotion.

NCSC Chairman Vijay Sampla at a press meet in New Delhi.

Similarly, 20 per cent reservation has been laid down for group C and D employees. However, the government never implemented the provisions. The commission recommended the Punjab Home Ministry to immediately move the file for implementation. —TNS

The Tribune Fri, 17 September 2021 https://epaper.tribuneindia.com

पदोन्नति के लिए आयोग की सिफारि

पीओ एक्ट के तहत परिजनों को 8.25 लाख मुआवजा मिलेगा

दीपा हत्या मामले की एससी एसटी आयोग के उपाध्यक्ष ने की जांच

- सौंदा डी पहुंच कर परिजनों से की मुलाकात

प्रतिनिधि, भुरकुंडा/उरीमारी

सौंदा डी जयनगर निवासी स्व कामेश्वर राम की पुत्री छात्रा चंदा कुमारी उर्फ दीपा की हत्या के मामले की जांच के लिए, शनिवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार के उपाध्यक्ष अरुण कुमार हलदर सौंदा डी पहुंचे. यहां

डीसी एसपी की मौजूदगी मे परिजनों से पूछताछ करते आयोग उपाध्यक्ष.

छोटे बच्चों को स्नातक तक की शिक्षा की व्यवस्था होगी. उन्होंने बताया कि मेरे आने की सूचना के बाद पुलिस ने पीओ एक्ट लगाया है. इस बात को लेकर उन्होंने पुलिस-प्रशासन पर नाराजगी जतायी है. उन्होंने कहा कि पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी गयी है. श्री हलदर ने पुलिस की जांच व स्थानीय लोगों सहित परिजन के बयान में विरोधाभास है. रविवार को रांची में इसी को लेकर आयोग की बैठक होगी, जिसमें संबंधित पुलिस-प्रशासन के पदाधिकारियों को तलब किया गया है. उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी

संज्ञान लेता है. उन्होंने बताया कि सीसीएल प्रबंधन को ताकीद की गयी है कि अपने आसपास के गरीब एससी एसटी लोगों के उत्थान के लिए प्रयास करे. मौके पर आयोग के निदेशक एसके सिंह, अनुसंधान अधिकारी सुनील सिंह के अलावा डीसी माधवी मिश्रा, एसपी प्रभात कुमार, डीडीसी नागेंद्र सिन्हा, डीटीओ सौरव कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी आर चौधरी, एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी, बीडीओ देवदत्त पाठक, सीओ शिवशंकर पांडेय आदि मौजूद थे.

क्या है मामला : सौंदा डी जयनगर

दीपा 20 अगस्त की शाम अपने घर से लापता हो गयी थी. परिजनों ने काफी खोजबीन लेकिन कुछ पता नहीं चला. इसके बाद 21 अगस्त को उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दी. परिजनों ने दीपा के अपहरण की भी आशंका जताते हुए कुछ युवकों पर शक जताते हुए पुलिस को आवेदन दिया. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दीपा का शव 22 अगस्त को उसके घर के पास ही सीसीएल के एक बंद क्वार्टर से फंदे में झूलता हुआ बरामद किया. इसके बाद परिजनों के आवेदन के आधार पर हेमराज कुमार, ताहिर अली व सोनू कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. बाद में भी कुछ लोगों को जेल भेजा गया. इसी मामले की जांच के लिए आयोग के उपाध्यक्ष पहुंचे थे.

आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया: आयोग के उपाध्यक्ष अरुण कुमार हलदर ने सौंदा डी में डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इससे पूर्व मतकमा चौक व सौंदा डी में झारखंड प्रदेश अनुसूचित जाति उत्थान परिषद व एससी एसटी ओबीसी

NCSC asks Panjab govt to consider reservation in promotion of judical officers

cial Secretary (Home Affairs and Justice), Punjab government; Sanjeev Berry, Registrar General, Punjab and Haryana High Court; and Anju Rathi Rana, Joint Secretary, Union Ministry of Law and Justice.

The petitioner who approached the commission had informed that the state government had passed a law—Punjab Scheduled Castes and Backward Classes (Reservation in Services) Act, 2006 and as per the act Group A & B employees will get 14 % reservation, group c & d will get 20 % reservation in promotions but had never implemented, in the case of judicial services and for other court employees.

During the hearing, Vijay Sampla said, "Supreme Court in State of Bihar and another Vs Bal Mukund Saha and others (2000), held that any office or establishment of the Judiciary of the State of Bihar concerned with appointments to public services and posts in connection with affairs of the Judiciary of the State of Bihar would fall within the sweep of the term 'establishment'." On similar lines, engagement of judicial officers and other court employees in various courts of Punjab must be in the 'establishment' category of the state government."

"After hearing the parties in detail, the Commission recommends that the Home Ministry of Punjab Government will immediately move the file for implementation, in accordance with the reservation rules for the Punjab Govt. Progress made in the matter to be intimated to the Commission within the two weeks", Sampla added.

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

- ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰਜ਼/ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ-2006 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸਾਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ (2000)' ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਜਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ' ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਸੱਚ ਕਹੂੰ Fri, 17 September 2021 epaper.sachkahoon.com/c/63164957

बच्ची से रेप में अंजूबाला ने की पूछताछ

घटना में तूल

बिल्हौर | संवाददाता

बीते सोमवार को क्षेत्र के एक गांव में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य ने सीओ बिल्हौर से पूछताछ की।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य एवं पूर्व सांसद डॉ. अंजूबाला ने एसपी कानपुर आउटर से दलित बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। मामले की विवेचना कर रहे सीओ बिल्हौर राजेश कुमार गुरुवार को लखनऊ स्थित उनके कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने घटना के बाद अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी। डॉ. अंजूबाला ने सीओ को जल्द ही मामले में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल करने व पीड़ित परिजनों को सरकारी सहायता राशि दिलाने के निर्देश दिए। इसके अलावा दलित उत्पीड़न के लंबित मामलों में जल्द कार्रवाई के भी निर्देश दिए।

यह है मामला

- बीते सोमवार को दलित बच्ची हुई थी घटना की शिकार
- एसपी कानपुर आउटर से कार्रवाई की जानकारी मांगी थी

AIIMS will follow NCSC recommendation for promotion against unreserved vacancies

TSN/New Delhi:

National Commission for Scheduled Castes (NCSC) got the complaint that AIIMS administration, New Delhi has debarred from promotions of Employees belongs to reserve category whether it belongs to his/her seniority or as well as Unreserved vacancy/post.

AIIMS SC/ST Employees Welfare Association requested to NCSC to issue directions to AIIMS authorities to review all the DPCs done on the basis of DOPT order dated 15 June this year ("reserved category to reserved category post" and "unreserved posts to unreserved posts" subject to review) and provide the promotions to all the debarred SC employees.

While hearing the petition titled as "discrimination in promotion in AIIMS New Delhi."

NCSC Chairman Vijay Sampla asked the AIIMS administration to submit the ... rected to recommend that reserved category candidates shall also be considered for promotion against reserved vacancies if his/her turn for promotion coming by virtue of seniority /merit.

So that no SC candidate is deprived of promotion because he/she is due for promotion by virtue of seniority/merit but reserved vacancy is not there for "SC". The Commission also recommended that all the promotions made after NCSC's recommendation based on criteria wherein "Reserved Category" candidates were not considered for promotion against "Unreserved" vacancies be reviewed.

After NCSC recommendation, AIIMS replied that AIIMS administration will now follow NCSC's recommendation and will hold DPCs accordingly. Petitioner is too satisfied with AIIMS reply.

आयोग मुख्यालय में मामले की सुनवाई करते माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला,
माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला,
माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी व अन्य अधिकारीगण (ऊपर)।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला (नीचे)।

National Commission For Scheduled Castes
5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003